आपका सूचना का अधिकार

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

रचना व लेखन : आभा सिंघल जोशी
कवर व चित्रांकन : सुरेश कुमार
टाईपसैटिंग व मुद्रण : मैट्रिक्स
पुनर्मुद्रण : 2003

इस पुस्तक की सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है। केवल स्रोत देना आवश्यक है।

आपका सूचना का अधिकार

नहीं, नहीं, कभी नहीं

गौरी के जिले में हेल्थ बोर्ड ने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने की बहुत बड़ी स्कीम चलाई। गौरी और उसकी सहेलियों ने इसकी सफलता के बारे में रेडियो पर सुना। लेकिन अपने आसपास देखने से पता चला कि किसी बच्चे को दवाई नहीं पिलाई गई थी। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से जाकर यह जानकारी माँगी कि कितनी दवाई जिले में आई थी, कितनी पिलाई गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह सब बताने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह सारी सूचना देने की उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं।

एक पत्रकार ने अखबार में पढ़ा कि एक ही इलाके में, एक अवधि के बीच कई बच्चों की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी। जब उसने गाँव-गाँव जाकर इसकी जानकारी ली तो उसे पता चला कि बच्चे बीमारी से नहीं, भूख से मरे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टर ने इसके बारे में जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया।

एक इलाके के लोग कई हफ़्तों से राशन की दुकान पर चावल और चीनी लेने जा रहे थे। रोज़ यही जवाब मिलता — आये नहीं हैं, ख़त्म हो गये। बार-बार परेशान होने पर लोगों ने लाला से कहा कि सामान का रजिस्टर दिखाओ हम जानना चाहते हैं कि कितना सामान आया, कब आया और कब बाँटा गया। लाला ने उन्हें धमका कर कहा — तुम्हारे बाप की दुकान है, क्या? मैं कोई रजिस्टर न रखूँगा न दिखाऊँगा। कर लो जो कर सकते हो।

कई बड़े-बड़े अफसर और नेता अपनी कार्य की अवधि समाप्त होने के कई साल बाद तक सरकारी मकानों पर कब्जा किये बैठे थे। कईयों ने तो किराया भी नहीं दिया था। बात खुलने पर इस मुद्दे की छानबीन के लिये संसद की एक समिति बनाई गई। जब कुछ पत्रकारों ने समिति से उन लोगों के नामों की सूची माँगी जो घरों पर कब्ज़ा किये हुए थे, उन्हें जवाब मिला "यह गुप्त मामला है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिये।"

शब्बीर और सुनील ने अपने नाम रोज़गार विभाग (एम्पलायमेंट एक्सचेंज) में पाँच साल पहले दिये थे। जब भी विभाग में वह अपनी स्थिति के बारे में पूछते तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तब उन्हें पता चला कि उनके सहपाठी शंकर को नौकरी मिल गई है, जबकि उसने उन दोनों के बाद अपना नाम दिया था। उन्होंने माँग की कि उन्हें एक्सचेंज के रोल दिखाये जायें। विभाग के अधिकारियों ने कहा, यह सरकारी सूचना हैं, किसी को नहीं दिखाई जा सकती।

सरकारी सूचनायें

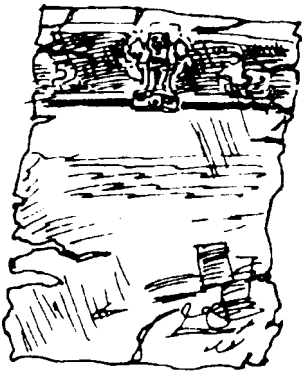

रामलीबाई को अपने पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा मिला था। वह उसे अपने नाम में कराना चाहती थी। भाईयों ने कुछ झगड़ा डाला तो तहसीलदार ने रामलीबाई से कहा कि ज़मीन से संबंधित पुराने दस्तावेज़ों की कापियाँ ले कर आओ। रिकार्ड कार्यालय में कागज़ों और दस्तावेज़ों का इतना बुरा हाल था कि रामलीबाई के दस्तावेज़ कई महीनों तक नहीं मिल पाये और उसका अधिकार मारा गया। अधिकारियों ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।

लेकिन जानना क्यों ज़रूरी है?

ये सभी बातें हमारे और आपके लिये नई नहीं हैं। गाँव में, शहर में और देश की राजधानी में भी, रोज़मर्रा की कहानी है। जब भी सरकारी या किसी लोक विभाग से कुछ भी जानकारी माँगी जाती है तो वही जवाब मिलते हैं : नहीं दे सकते, गुप्त सूचना है। नहीं दे सकते, सरकारी दस्तावेज़ हैं। नहीं दे सकते क्योंकि है ही नहीं। या फिर साफ — नहीं देंगे, तुम होते कौन हो पूछने वाले?

आमतौर से लोगों को यह नहीं मालूम कि हमें पूछने और जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार व अन्य जनसंपर्क रखने वाले विभाग क्या काम कर रहे हैं और कैसे, कितना पैसा खर्च हो रहा है, और कैसे। इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार।

उच्चतम न्यायालय का कथन

"जब तक लोगों को शासकीय मामलों में सहभागिता का हक नहीं होगा, तब तक सही मायने में लोकतंत्र नहीं हो सकता। सहभागिता तब तक निरर्थक है जब तक लोगों को किसी भी मुद्दे के हर पक्ष की जानकारी न हो। एकपक्षीय जानकारी – गलत जानकारी, जानकारी छिपाना, मोड़–तोड़ के देना सब गैर–सूचित नागरिकता को बढ़ावा देते हैं और लोकतंत्र तब उपहास मात्र रह जाता है जब सूचना पाने के माध्यम या तो किसी केन्द्रीय और पक्षपात प्राधिकरण के एकमात्र नियंत्रण में हों या फिर निजी व्यक्तियों या गुटों के शिकंजे में हों।"

सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉरमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
बनाम
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एण्ड अदर्स

रामपुर गाँव के लोगों ने सुना था कि गाँव में से बहने वाली नदी पर एक पुल बन रहा है। तीन साल बीत गये पर कोई पुल नहीं दिखाई पड़ा। जब गाँव के कुछ लोगों ने पंचायत से पुल के बारे में सूचना माँगी तो पंचायत ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सरपंच ने कहा—"यह हमारा मामला है, तुम लोगों को कुछ जानने का अधिकार नहीं है।"

लेकिन रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि :

- पुल बनने के लिये कितना पैसा दिया गया है?
- पुल कितने समय में बनेगा?
- पुल बनाने के लिये कितने लोगों को रोज़गार मिला और कितने वेतन पर?
- पुल किस विशेष स्थान पर बनेगा?
- यदि बनने के बाद पुल टूट जाता है तो किसकी जिम्मेवारी है, किसका दोष है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ़ क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

इसीलिए, रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि पुल उस जगह बनाने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्हें यह भी जानने का हक है कि पुल बनाने के लिये कितना पैसा तय किया गया है। वे उन सब दस्तावेज़ों के हकदार हैं जिनसे पता चलता है कि किस सामग्री पर कितना खर्च हुआ, इत्यादि।

जानना क्यों ज़रूरी है

कई ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। सरकारी कामों में हमारा बहुत पैसा भी लगता है। हमें यह अधिकार है कि हमें ऐसी ज़रूरी बातों के बारे में पता चले। यदि सारे काम के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इसे कहते हैं शासन में पारदर्शिता।

सरकार और शासन लोगों के लिये हैं और कानून से बचे नहीं है। यदि काम सही ढंग से नहीं होता, तो शासन को ज़िम्मेवार ठहराया जा सकता है। रामपुर में बना पुल यदि बह जाये या टूट जाये, तो लोग यह जानने के अधिकारी हैं कि दोष किसका था और दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। इसे कहते हैं शासन की जनता को जवाबदारी।

लोकतन्त्र में शासन लोगों के लिये ही होता है। हम शासन चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम सरकार चलाने के लिए कई प्रकार के टैक्सों द्वारा पैसा देते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिये, हमारे ही पैसों से होता है।

यह काम ज़रूरतों के अनुसार हो, इसके लिये हमें काम की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिये। इसे कहते हैं, शासन में लोगों की भागीदारी।

निर्णय जानने के लिये, अनेक तरह के मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिये, हिसाब मांगने के लिये, ब्यौरा मांगने के लिये और शासन को अपने काम के लिये ज़िम्मेदार ठहराने के लिये, सूचना आवश्यक है।

सूचना किसे कहते हैं?

सूचना कई रूप ले सकती है— वह सरकारी व शासकीय कार्रवाई और बैठकों के ब्यौरे से मिल सकती है, वह शासकीय निर्णयों, आदेशों, अधिसूचनाओं से मिल सकती है। शासकीय रजिस्टरों में एन्ट्री की कापियाँ, खातों की कापियाँ, विभागों की प्रक्रियाएँ और नियम, किसी निर्माण कार्य का चित्रांकन या मानचित्र (नक्शा) सभी चीज़ें आम नागरिक के लिये सूचना हैं। खरीदे गए सामान के बिल का वाऊचर देख कर हमें यह सूचना मिल सकती है कि क्या-क्या खर्च हुआ।

इन सब चीज़ों का हमारे लिये उपलब्ध होना सूचना का अधिकार है।

यह अधिकार हमें किसने दिया है?

यह अधिकार हमें हमारे देश के मूल कानून से मिलता है। देश के मूल कानून को संविधान कहते हैं। संविधान के अनुसार हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने की सख्त मनाही है। हाँ, कुछ खास कारणों से, लोगों का ही हित देखते हुए, सामान्य सी रोक लग सकती है। इन खास अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार। यही अधिकार हैं जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं :

बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार : इसका मतलब है अपनी बात खुल कर कह पाना, अपने विचार बिना किसी नाज़ायज़ रोक के व्यक्त करना। अभिव्यक्ति यानि अपने भाव प्रकट करना — चाहे वह बोलके या लिखके, चित्र या मूर्ति बनाके, या फिर गाके, नाचके, फिल्म बनाके हों। इस अधिकार का एक ज़रूरी अंश है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहे उसके समर्थन में या विरोध में। बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में जानने का अधिकार निहित है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त कर सकते। अभिव्यक्ति के अधिकार में विरोध प्रकट करने का अधिकार भी आता है।

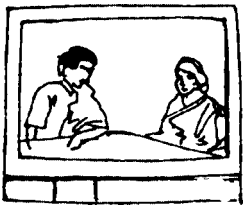

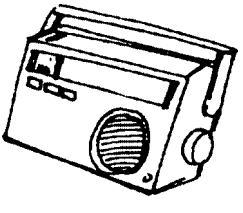

समानता का अधिकार : सभी को कानून की नज़र में सामान व्यवहार का अधिकार है। इसलिए समान रूप से हर व्यक्ति को सूचना मिलना भी इसमें

शामिल है, क्योंकि सूचना एक व्यक्ति की शक्ति होती है। सूचना रखने वाले व्यक्ति में और सूचना से वंचित व्यक्ति में असमानता पैदा होती है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार : इसका मतलब है वे सभी चीज़ें पाने का अधिकार जिनसे अपने जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके। इसमें सम्मान से, बिना नाज़ायज़ रोक-टोक का जीवन जीने का अधिकार भी है। इसी में है अपने जीवन से जुड़ी अहम् बातों की जानकारी का अधिकार।

उड़ीसा के एक जिले में नहर बनने वाली थी। आपस में चर्चा होने पर, वहाँ के लोगों को लगा कि जिस जगह पर नहर बनने वाली है, वहाँ नहर न तो उपयोगी होगी न ही पर्यावरण के हिसाब से सही। उन्होंने सिंचाई विभाग को अपनी बात कहने के लिये, नहर के बारे में कुछ ब्यौरे मांगे। जवाब यह मिला कि ये उन्हें नहीं दिये जा सकते क्योंकि यह सरकारी सूचना है। लोगों को नहर के बारे में सूचना लेने का अधिकार है, ताकि वे नहर के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें।

एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने रिपोर्ट निकाली कि कुछ पैक-बंद खाने की चीज़ों में (जैसे हल्दी, शिशुओं का दूध पाऊडर, इत्यादि) कीटाणु-नाशक पदार्थ पाये जाते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। स्वास्थ्य-संबंधी बातों पर काम कर रही एक संस्था ने जब रिपोर्ट की कापी माँगी तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। बार-बार मांगने के बाद जवाब मिला कि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। लोगों को अपने स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने के लिये रिपोर्ट में लिखी बातों की जानकारी का अधिकार है।

फिर सूचना मिलती क्यों नहीं?

सूचना अधिकतर इसलिये मना की जाती है क्योंकि

। कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अंतर्गत सूचना रोकी जा सकती है।

कुछ कानून जो सूचना देने के आड़े आते हैं
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923
इस तरह के कानून अंग्रेज सरकार ने अपने बचाव के लिये बनाये थे। ये लोकतंत्र के नियमों के और हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इन्हें बदलने की और कुछ को हटाने की आवश्यकता है।

लोक निर्माण विभाग

। शासन जटिल और उलझा हुआ होने के कारण प्रभावशाली और भ्रष्ट हो गया है। वह "गुप्त सूचना" की आड़ में अपने को बचाना चाहता है।

रोजगार विभाग

। माँगी गई सूचना मिलनी ही मुश्किल है क्योंकि सरकारी फाईलें, दस्तावेज़ और कागज़ रखने का ढंग बहुत ख़राब और पुराने ढंग का है।

। लोग यह जानते ही नहीं कि उन्हें सूचना लेने का अधिकार है। अगर उन्हें सूचना देने के लिये कोई इन्कार करता है तो वह अपने हक़ को बलपूर्वक नहीं जताते। अभी की स्थिति में, यह हक़ लेने के लिये लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा जो कि एक लम्बा और परेशानी का रास्ता है।

फिर हमें यह अधिकार कैसे मिल सकता है?

सरकार पर सूचना देने का दायित्व डालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं

। सरकार हर विभाग को आदेश दे कि लोगों को सूचना दी जाये।

। विभिन्न कानूनों को बदला जाये और उनके द्वारा सूचना दी जाये।

। एक कानून हो जिसके द्वारा कायदे से लोग हर प्रकार की सूचना पा सकें।

सरकारी आदेश

मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दिये गये थे। बिलासपुर खंड के कमिश्नर ने कुछ ऐसे विभागों में सूचना देने के आदेश दिये थे जहाँ जन-संपर्क अधिकतम है, जैसे रोज़गार विभाग, परिवहन विभाग, लोक वितरण विभाग। पूरे राज्य के लिये भी राज्य सरकार ने कुछ आदेश जारी किये थे, जैसे खनिज विभाग, लोक परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। इन सब विभागों से, अब सूचना मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की पंचायतों और लोक निर्माण विभाग जैसे कुछ विभागों के लिये भी ऐसा आदेश निकाला गया है।

परन्तु ऐसे आदेश केवल उसी खंड, विभाग या राज्य में लागू होंगे जहाँ वे पारित किये गये हैं। इसलिये सूचना मिलने में कोई एक सामान्य रवैया नहीं है। यदि हमें किसी ऐसे राज्य या विभाग में सूचना चाहिये जहाँ आदेश पारित नहीं हैं, हमें नहीं मिल सकती। कल को सरकार बदल जाये या सरकार की नीति बदल जाये, तो सूचना नहीं मिलेगी। यदि कानून बना हो, तो यह अधिकार इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है।

कानूनों में संशोधन

कुछ राज्यों में कानूनों में संशोधन हुए। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज कानून के नियमों में संशोधन करके पंचायतों से सूचना लेने का अधिकार दिया था। ऐसा करने पर भी एक विशाल क्षेत्र रह जाता है जहाँ सूचना नहीं मिल सकती। हर कानून में सूचना देने का संशोधन करना एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया है।

सूचना के अधिकार पर कानून

कुछ राज्यों ने सूचना के अधिकार पर कानून बनाये हैं। तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार पर कानून बनाए हैं। इन कानूनों द्वारा कई लोगों ने सार्वजनिक या शासकीय कार्यों की जानकारी लेनी शुरू की है – जैसे सड़क निर्माण, राशन वितरण और अन्य जन सुविधाएँ। ऐसे राज्यों में शासन की जवाबदेही बढ़ी है। परन्तु, यहाँ भी कुछ राज्यों में कानून सीमित क्षेत्र में ही सूचना देने का अधिकार देता है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधान होने के कारण इस अधिकार के बारे में स्पष्टता नहीं है। पर वे लोगों के काम में कम आ सकते हैं क्योंकि उनमें कई कारणों से सूचना देने से मनाही हो सकती है। इनमें सरकारी विभागों को बहुत छूट दी गई है कि वे सूचना देने से इन्कार करें।

इसीलिये एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो कि केन्द्रीय कानून हो और सभी राज्यों में लागू हो।

सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002

दिसम्बर 2002 में सूचना के अधिकार पर एक केन्द्रीय कानून संसद ने पारित किया। इस कानून का नाम है "सूचना स्वातंत्रय अधिनियम 2002" अंग्रेजी में इसका नाम है "फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002"। यह कानून राष्ट्रपति की अनुमति पा चुका है और शासकीय गजट में अधिसूचित हो चुका है। इसका मतलब है कि अब सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू है।

इस कानून की मुख्य बातें

- सूचना के अधिकार का उद्देश्य है, प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- हर नागरिक को लोक शक्तियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। लोक शक्तियाँ यानि सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएँ और विभाग।
- 'सूचना' का मतलब है किसी लोक शक्ति के शासकीय कार्यों या निर्णयों से संबंधित किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री।
- सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है :

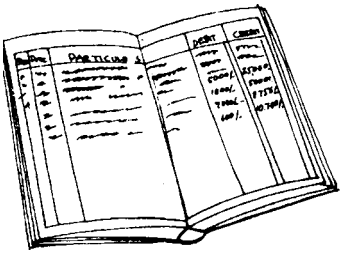

  - रिकार्डों का अवलोकन करके उनमें से अंश या नोट लेना।
  - रिकार्डों की सत्यापित प्रतियाँ (सर्टीफाईड कॉपी) लेना
  - कम्प्यूटर की "फ्लॉपी, डिस्केट इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना।

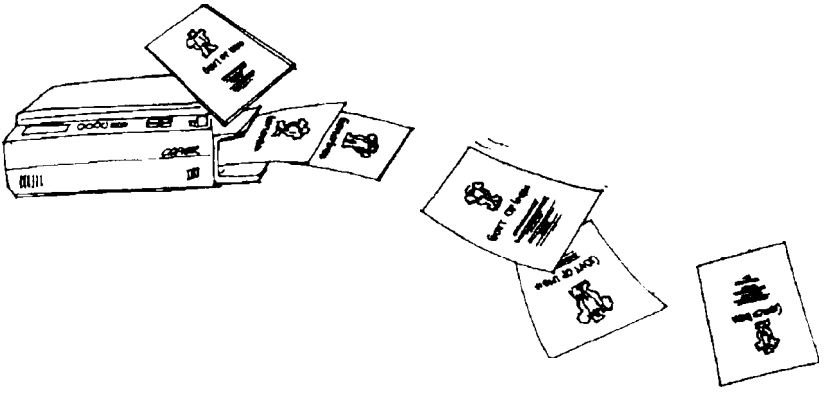

G इस कानून की एक अहम् बात है कि सरकारी विभागों और शासकीय संस्थाओं पर अब यह ज़िम्मेदारी है कि वे

G अपने रिकार्डों को सही ढंग से रखे जिससे उन्हें ढूँढने में सुविधा हो

G निम्न बातों की जानकारी स्वयं प्रसारित करें।

1. अपने-अपने कार्यों और कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी
2. अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ, उनके दायित्व और उनके निर्णय लेने की कार्यप्रणाली

3. अपने कार्य करने के लिए उनके मापदंड
4. उनके अधीन काम करने वाले लोगों के काम करने के तरीकों से संबंधित नियम, नीति, आदेश, इत्यादि दस्तावेज़

। हर लोक शक्ति को अपने परिसरों में यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी :

क) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं

ख) सूचना देने के लिए नियुक्त "लोक सूचना अधिकारी" का नाम, पद और अन्य जानकारी (जैसे कहाँ बैठते हैं, कार्य करने का समय, इत्यादि)

5. कोई भी अहम् निर्णय लेते समय या नीति निर्धारित करते समय, उनसे संबंधित सभी तथ्यों को प्रसारित करना

6. अपने निर्णयों से प्रभावित लोगों को उन निर्णयों का आधार बताना

7. कोई भी नया कार्य करने से पहले, उस कार्य के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी उस कार्य से प्रभावित होने वाले को देनी होगी।

एक नागरिक सूचना कैसे माँगेगा?

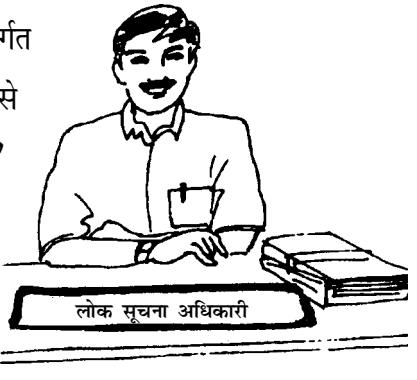

- हर विभाग में, इस कानून के अंतर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक "लोक सूचना अधिकारी" नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के कार्यालय में लिखी होगी।
- लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना की माँग का निपटारा करेंगे। वे सूचना माँगने वाले को हर प्रकार से, सामान्य सहायता भी देंगे।
- लोक सूचना अधिकारी अपने इस कार्य के लिए किन्हीं और अधिकारियों की सहायता भी माँग सकते हैं। इन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी की हर प्रकार से सहायता करनी होगी।

- कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उसे "लोक सूचना अधिकारी" को लिखित में सूचना देनी होगी। इसमें उसे अपनी माँगी गई सूचना के बारे में ब्यौरा देना होगा। जैसे : किस विभाग से संबंधित है; फाईल या दस्तावेज़ का नाम (पता हो तो) आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, तारीख, इत्यादि।

- अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन देने में असमर्थ है तो वह मौखिक आवेदन (बोल कर, मुँह-ज़ुबानी) दे सकता है। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित में करने में सहायता करेंगे।
- सूचना का आवेदन पाने के बाद, लोक सूचना अधिकारी जितनी जल्दी हो सके, और अधिकतम 30 दिन के अन्दर, या तो सूचना उपलब्ध कराएंगे, या कारण बताते हुए, आवेदन को नामंज़ूर कर देंगे।

यदि माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जान या निजी स्वतंत्रता से संबंध रखती हो, तो सूचना 48 घंटों के अन्दर दी जानी चाहिए।

- माँगी गई सूचना पर कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। जहाँ सूचना की मात्रा अधिक होगी, वहाँ लोक सूचना अधिकारी शुल्क भरने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे। सूचित करने और शुल्क जमा करने के बीच

की अवधि 30 दिन की गिनती में नही आएगी। सूचना उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में माँगी गई हो। जैसे, अगर किसी रजिस्टर की प्रति (फोटोकॉपी) माँगी गई है, तो वही देनी होगी।

अगर सूचना ऐसे रूप में माँगी गई हो जिससे या तो विभाग का असामान्य समय, या पैसा खर्च हो, या उन दस्तावेज़ों को कोई नुकसान पहुँचे तो सूचना किसी और रूप में भी दी जा सकती है। जैसे : यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े दस्तावेज़ की छपी प्रतियाँ माँगे, जिन्हें छापने/फोटोकॉपी करने में बहुत समय लगेगा, तो कागज़ी प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटर "फ्लॉपी" इत्यादि द्वारा वह सूचना दी जा सकती है।

क्या हर प्रकार की सूचना दी जाएगी ?

नहीं ! कानून में कुछ ऐसी सूचनाओं की सूचि है जिनको देने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, कुछ सरकारी संस्थाएँ हैं जिनका काम सुरक्षा और गुप्त सूचना की प्राप्ति से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों द्वारा इन संस्थाओं से सूचना नहीं माँगी जा सकती।

सूचना का आवेदन किन आधारों पर नामंजूर हो सकता है?

कुछ सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी, जैसे :

। भारत की प्रभुता, अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ; वे सूचनाएँ जो राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ।

- सूचनाएँ जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हों; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जाँच पर विपरीत असर डालती हों; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्रवाही पर विपरीत असर डालें।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संबंधों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ; वे सूचनाएँ जो केन्द्र और राज्यों के बीच गुप्ततापूर्वक दी गई हों।
- मंत्रीमंडल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेज़ व विचार-विमर्श।
- कोई नीति बनाने या निर्णय लेने से पहले, निर्णय की प्रक्रिया के विचार-विमर्श, कानूनी सलाह और राय।
- व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है। ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति को नाज़ायज फायदा या नुकसान हो सकता है।
- ऐसी सूचना जिससे संसद या विधान सभाओं के विशेष अधिकारों की मर्यादा भंग होती हो। ऐसी सूचना जिससे किसी कोर्ट के विधिवत् आदेश का उल्लंघन होता हो।

ऊपर दिए गए सभी विषयों पर ऐसी सूचना जो 25 साल से पहले हुई किसी घटना से संबंध रखती है, दी जाएगी, बशर्ते उसे देने से देश की प्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल असर न पड़ता हो।

- यदि कोई माँगी गई सूचना इस प्रकार की हो जो कि या तो बहुत सामान्य सी होने के कारण, या किसी और कारण से, इकट्ठी करने में विभाग का अत्यधिक समय या खर्चा लगता हो या उसके कार्य करने में बाधा डालता हो, तो उसे देने से इनकार हो सकता है।

लेकिन इनकार करने से पहले, लोक सूचना अधिकारी को, उस आवेदन को इस प्रकार संशोधन करने में मदद करनी होगी, जिससे माँगी गई सूचना सूचना देने के काबिल हो सके।

- यदि कोई सूचना इस प्रकार की है जो किसी कानून, नियम या आदेश द्वारा समय-समय पर छपती हो, और 30 दिन के अन्दर उसके छपने की संभावना हो, तो सूचना के आवेदन को नामंज़ूर किया जा सकता है।
- जो सूचना छपी सामग्री के रूप में जनता को उपलब्ध है, ऐसी सूचना का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- जो सूचना किसी व्यक्ति की एकांतता (प्राईवेसी) पर अमान्य दखल करती हो, वह सूचना भी नहीं दी जाएगी।

यदि किसी दस्तावेज़ के किसी भाग सूचना देने से वर्जित है, पर बाकी भाग दिया जा सकता है, तो वर्जित सूचना हटा कर वह दस्तावेज़ दिया जाएगा। देते समय, माँगने वाले को ये बताना ज़रूरी होगा कि :

- दस्तावेज़ का वही भाग दिया जा रहा है जिसमें से वर्जित सूचना हटाई गई है।
- वर्जित सूचना कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत हटाई गई है।

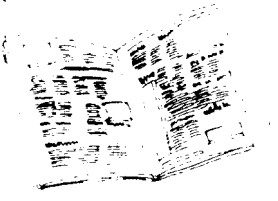

यदि कोई ऐसी सूचना दी जानी हो जो किसी **अन्य व्यक्ति** से संबंध रखती हो या उसके द्वारा गुप्तता मान कर दी गई हो, तो देने के पहले, लोक सूचना अधिकारी :

आवेदन पाने के 25 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना देंगे कि वे कौन सी सूचना देने वाले हैं

और

- सूचना की प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को सूचना दिए जाने का विरोध करने का मौका देंगे
- सूचना का आवेदन पाने के 60 दिन के अन्दर, अन्य व्यक्ति को सुनवाई का मौका देकर, सूचना देने या न देने का निर्णय लेंगे
- इस निर्णय की सूचना उस अन्य व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी, यह बताते हुए कि वह इस निर्णय के विरोध में अपील कर सकते हैं।

अगर कोई लोक सूचना अधिकारी के किसी निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह क्या करे?

कोई भी व्यक्ति अगर लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो, या उसे लगे कि दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है, तो वह 'अपील' कर सकता है। अपील का मतलब है किसी उच्च अधिकारी या शक्ति से निर्णय लेना।

यह अपील कैसे की जाएगी?

निर्णय मिलने के 30 दिन के अन्दर अपील करनी होगी। अपील लिखित में, असंतोष के कारण बता कर करनी होगी। 30 दिन के बाद भी अपील दी

जा सकती है अगर अपील सुनने वाले अधिकारी मान लें कि देर होने के पर्याप्त कारण थे।

अपील किसे दी जाएगी?

अपील किसी शासकीय अधिकारी को दी जाएगी। इनका पद/पता संबंधित विभाग से मिलेगा। सूचना की अर्ज़ी नामंज़ूर करते समय, लोक सूचना अधिकारी लिखित में कारण देने के साथ, अपील अधिकारी का पूरा पता/पद इत्यादि भी देंगे।

अगर कोई इस पहली अपील से भी संतुष्ट न हो तो वह दूसरी अपील कर सकता है। यह दूसरी अपील राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी के पास देनी होगी। यह अपील भी पहली अपील के निर्णय से 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

पहली और दूसरी अपील को 30 दिन के अन्दर निपटाया जाएगा। अगर समय बढ़ाया जाएगा तो उसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

जब सूचना के आवेदन को नामंज़ूर किया जाएगा, तभी "अपील" करने वाले अधिकारी का पूरा नाम/पद/पता आपको बताया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि अपील कितने दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। इस नामंज़ूरी के आदेश में नामंज़ूरी के कारण भी बताए जाएंगे। इन कारणों के आधार पर आप अपनी "अपील" तैयार कर सकते हैं।

क्या हम नामंजूरी के विरोध में अपनी बात का न्यायिक फैसला कोर्ट से केस डाल कर ले सकते हैं?

नहीं ! इस कानून के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश को साधारण दीवानी मुकदमा करके (सिविल कोर्ट) में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ऊपर बताई गई अपीलों द्वारा सुनवाई हो सकती है।

लेकिन, फिर भी, किसी भी शासकीय आदेश के विरोध में, होई कोर्ट में अर्ज़ी दी जा सकती है। इस अर्ज़ी को "रिट याचिका" कहते हैं। यह एक संविधानिक अधिकार है। अगर आपको लगे कि दिया गया आदेश गैर कानूनी, नाजायत, या किसी और कारण से गलत है, तो हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं।

। हर स्थिति में, *सूचना मांगने के अधिकार का उपयोग* कीजिये।

। अपने *विचारों की अभिव्यक्ति* कीजिये। हर विचार का मूल्य होता है।

"चोरीवाड़ा घणा होगयो रे, कोई तो मुँडो बोलो।"

यह पुकार है राजस्थान के लोगों की ! चोरीवाड़ा, या भ्रष्टाचार के विरोध में, राजस्थान के लोगों ने मुँह खोला, तो सरकार को सुनना ही पड़ा। सूचना का अधिकार केवल शिक्षित या शहरी लोगों का मामला नहीं है, ऐसा राजस्थान की कहानी से पता चला.....

मज़दूर किसान शक्ति संगठन (एम०के०एस०एस०) करीब दस साल से गाँववासियों के साथ काम कर रही एक संस्था है। राजसमंड जिले के लोग न्यूनतम मज़दूरी, सहकारी दुकानों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर काम कर रहे थे। अपने काम के दौरान उन्हें पता चला कि कई प्रकार की बड़ी और छोटी विकास परियोजनाएं व स्कीमें गाँव में लागू की जा रही थीं। लेकिन एक नज़र घुमा कर देखने से साफ पता चलता कि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ खड़ा हुआ ***"तो फिर विकास के नाम पर आने वाले पैसे गये कहाँ?"*** इस प्रश्न से बहुत दूर यह आभास नहीं था, कि अगर विकास के लिये अंकित धनराशि के गबन का हिसाब लगाया जाए, तो **हवाला** और **तहलका** जैसे बड़े से बड़े भ्रष्टाचार कांड भी उसके आगे इक्कनी दवन्नी वाले मामले लगेंगे। और यह पैसा तो गरीब से गरीब वर्ग के लिये था ! गाँववासियों को आभास हुआ कि भ्रष्टाचार कोई दूर की, "कहीं" होने वाली चीज़ नहीं है। वह उनसे और उनके जीवन से गहरा संबंध रखती है। ऐसे शुरु हुआ राजस्थान का 'सूचना का अधिकार' अभियान : *राजस्थान के लोग जानना चाहते थे* : अगर विकास योजना में लोगों को मज़दूरी दी गयी है, तो वे मस्टर रोल देख सकते हैं, क्या? यदि सड़कें बनी हैं, तो कहाँ? योजना के लिये कितने पैसे आये, कितने खर्च हुए?

लोगों ने यह बात समझ ली, कि जैसे ज़मीन के मामलों में 'कागज़' का सबूत ज़रूरी है, वैसे ही सरकारी कागज़ातों की कापियाँ होने से, भ्रष्टाचार का सबूत मिलता है, और शासन का सामना किया जा सकता है। एम०के०एस०एस० का संघर्ष फैलता गया और सरकार पर एक दबाव बन गया। सरकार लोगों को सूचना का अधिकार देने के लिये मजबूर हो गई। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम के नियमों का संशोधन हुआ कि पंचायत से लोगों को सूचना लेने का अधिकार है। यह बहुत बड़ी जीत थी, पर एक सीमित जीत थी। एक विस्तृत अधिकार का संघर्ष चलता रहा और अब राजस्थान में सूचना लेने का कानून लागू है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वावलम्बी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों को साक्षात् रूप देने के लिये काम कर रही है। हम पुलिस, जेल और मानव अधिकार, अभिव्यक्ति व सूचना के अधिकार आदि जैसे मुद्दों पर काम करके लोकतंत्र की नींव को मज़बूत बनाने के प्रयत्न में जुटे हैं।

विचारों की विविधता, अच्छे व पारदर्शी शासन, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति हम विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता के दायरे में 'सूचना के अधिकार' पर हमारा काम आता है। इस प्रोग्राम में हम इस मुद्दे की जानकारी इकट्ठी व वितरित करते हैं, खुली मत, चर्चा और प्रशिक्षण के नज़रिये से कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, ज़मीनी अनुभवों के आधार पर कानूनों का विश्लेषण करते हैं और नीति बनाने वालों के साथ संपर्क करके इन सभी विचारों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।

सूचना के अधिकार पर काम करने के अनुदान के लिये हम फ्रीड्रिश नौमन स्टिफटुंग के आभारी हैं।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिश्येटिव एक स्वावलम्बी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों को साक्षात् रूप देने के लिये काम कर रही है। हम पुलिस, जेल और मानव अधिकार, अभिव्यक्ति व सूचना के अधिकार आदि जैसे मुद्दों पर काम करके लोकतंत्र की नींव को मज़बूत बनाने के प्रयत्न में जुटे हैं।

सूचना के अधिकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत हम विषय से जुड़ी सामग्री तैयार व वितरित करते हैं, हर स्तर पर इसकी जानकारी बढ़ाने के लिये कार्यशालाएँ करते हैं और मुद्दे से जुड़े लोगों के बीच संपर्क बढ़ाते हैं।

सूचना के अधिकार पर काम करने के अनुदान के लिये हम फ्रीड्रिक नॉमन स्टिफटुंग के आभारी हैं।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिश्येटिव
बी-117, प्रथम तल, सर्वोदया एन्कलेव
नई दिल्ली-110017, भारत
दूरभाष +91-11-2652 8152, 2685 0523
फैक्स : 91-11-2686 4688
ई-मेल : chriall@nda.vsnl.net.in
वेबसाईट : www.humanrightsinitiative.org